



2026:AHC:68628

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या -**

**1111 वर्ष 2026**

**विशाल पाल ..... आवेदक**

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रतिपक्षी**

**आवेदक के अधिवक्ता: आशीष कुमार मिश्रा, राजा राम पाल**

**प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता**

**न्यायालय सं - 72**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल**

1. इस न्यायालय ने 11.2.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"1. श्री राजा राम पाल, आवेदक के अधिवक्ता, श्री उमा शंकर मिश्रा, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

2. प्रस्तुत आवेदन अपराध संख्या-341 वर्ष 2025 में धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना-सैयद राजा, जिला चंदौली के तहत अग्रिम ज़मानत की मांग करते हुए दायर किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।

3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को उस वाहन का मालिक कहा जाता है जिससे एक गाय बरामद की गई है। आगे यह तर्क दिया गया है कि चालक आकाश पाल के साथ सह-आरोपी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-44884 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 08.01.2026 के आदेश के माध्यम से पहले ही नियमित ज़मानत दी जा चुकी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि उसे अभी तक इस मामले में निर्देश नहीं मिले हैं।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदक विशाल पाल को गिरफ्तारी की स्थिति में, 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, जिसमें 24.03.2026 तक संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 24.03.2026 तक संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए दो-दो जमानतदार के साथ 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के साथ -

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

6. किसी भी शर्त के उल्लंघन में, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. इस मामले को 24.03.2026 को दोपहर 02:00 बजे ताजा करें।

8. इस बीच, अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित अगली तारीख तक मामले में निर्देश प्राप्त करे।



2. आज, जब मामले को बुलाया गया है, तो अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं।
3. मैंने पक्षगण के अधिवक्ता को सुना है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने दिनांक 11.2.2026 के पहले के आदेश में दर्ज की गई प्रस्तुतियों को दोहराया है।
5. अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है; हालांकि, वह आवेदक के किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि को इंगित नहीं कर सका।
6. आवेदक को यह भी नहीं कहा गया है कि उसने उसे दी गई अंतरिम अग्रिम ज़मानत का दुरुपयोग किया है।
7. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।
8. आवेदक को उस वाहन का मालिक बताया जाता है जिस पर एक जीवित जानवर (गाय) ले जाया जा रहा था। मौके पर गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से कोई शव या मांस बरामद नहीं हुआ है; यहां तक कि मौके पर गिरफ्तार किए गए सह-आरोपी आकाश पाल को भी इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-448884 वर्ष 2025 में नियमित ज़मानत दे दी गई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं दिखाया गया है।
9. सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम ज़मानत की पुष्टि करना उचित समझता हूं।
10. आवेदन की **अनुमति** है।
11. गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक विशाल पाल को उन्हीं नियमों और शर्तों पर अग्रिम ज़मानत दी जाएगी जो पहले के आदेश दिनांक 11.2.2026 में निर्धारित की गई थी।

मार्च 31, 2026

सुमैरा

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।